

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/484

09/09/2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर) के लिए आसियान प्रस्ताव पर इनपुट के लिए अनुरोध - अध्याय 39।

आपको सूचित किया जाता है कि रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने हमें भारत-आसियान उत्पाद विशिष्ट नियमों (पीएसआर) की समीक्षा के बारे में डीओसी की पहल के बारे में सूचित किया है, तथा चर्चा का अगला दौर शीघ्र ही निर्धारित होने की उम्मीद है।

इस समीक्षा के भाग के रूप में, आसियान ने अध्याय 27-39 के अंतर्गत सभी टैरिफ लाइनों के लिए समान नियमों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें शामिल हैं:

- सीटीएसएच (टैरिफ उप-शीर्षक में परिवर्तन) या 40% क्षेत्रीय मूल्य सामग्री, या
- रासायनिक प्रतिक्रिया,
- आइसोमर पृथक्करण, या
- जैव प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण

इस संदर्भ में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अध्याय-39 (प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं) के अंतर्गत टैरिफ लाइनों के लिए विशेष रूप से अपने आवश्यक इनपुट साझा करें, ताकि हम डीसीपीसी और डीओसी को एक सूचित प्रतिक्रिया संकलित और प्रस्तुत कर सकें।

कृपया अपनी प्रतिक्रिया साझा करें:

1. अध्याय-39 के अंतर्गत आपके उत्पाद लाइनों के लिए प्रस्तावित सह-समान नियमों की व्यवहार्यता और निहितार्थ।
2. सुझाए गए नियमों का अनुपालन करने में आपको आने वाली कोई भी चुनौती।
3. यदि लागू हो तो कोई वैकल्पिक नियम जिसे आप प्रस्तावित करना चाहें।

कृपया समय पर विचार सुनिश्चित करने के लिए **11 सितंबर 2025** तक अपने इनपुट नीचे हस्ताक्षरकर्ता को bharti@plexconcil.org ; research@plexconcil.org पर भेजें।

आपके त्वरित उत्तर के लिये हम आपके आभारी हैं।

सादर,

भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार और नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल